कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, करौली

क्रमांक :– 363 दिनांक :– 13/05/19

श्रीमान उप परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)
परिवहन विभाग, जयपुर।

विषय :– राजस्थान पत्रिका में दिनांक 26.02.2019 को प्रकाशित समाचार "580 में से 304 स्कूल बसों के पंजीयन रद्द" के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी भिजवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक प.22 (313) परि/प्रवर्तन/शिकायत पार्ट–2/2019/7118 दिनांक 30.04.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 22.02.2019 को पहाडी गुडला के पास हुई दुर्घटना तथा क्षेत्र में संचालित बाल वाहिनियों की जाँच कर निम्नानुसार कार्यवाही की जा चुकी है :–

- जिले में संचालित ऐसे बाल वाहिनी वाहन जिनकी फिटनेस दिनांक 23.02.2019 तक समाप्त हो चुकी है, उन वाहनों का पंजीयन प्रमाणपत्र इस कार्यालय के पत्रांक Suspension\1569\001-304 दिनांक 23.02.2019 के द्वारा फिटनेस कराए जाने तक निलम्बित कर दिया गया है। ऐसे वाहनों की संख्या 304 है। इस आदेश के पश्चात अभी तक 80 बाल वाहिनयों की फिटनेस जारी कर दी गई है तथा शेष के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।
- भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना ना हो इसके लिए उडनदस्ता संख्या 13 को हिण्डौन व टोडाभीम, नादौती क्षेत्र और उडनदस्ता संख्या 14 को करौली, सपोटरा, मण्डरायल, मासलपुर क्षेत्र में संचालित समस्त बाल वाहिनियों के विरूद्ध जाँच करने हेतु कार्यालय के पत्र क्रमांक 1545 दिनांक 22.02.2019 एवं क्रमांक 1570 दिनांक 23.02.2019 के द्वारा निर्देशित कर सख्त जाँच करवाई जा रही है और इन्हे निर्देशित किया गया है, ये प्रत्येक वाहन का भौतिक सत्यापन करेंगे।
- दुर्घटना कारित होना स्टॉफ की कमीं होना भी रहा है। इस हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1592 दिनांक 25.02.2019 के द्वारा श्रीमान अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा0) जयपुर को पत्र जारी कर प्रवर्तन स्टॉफ लगाने हेतु निवेदन किया गया है। साथ ही श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को इस कार्यालय के पत्रांक 1590 दिनांक 25.02.2019 के द्वारा बिना फिटनेस बाल वाहिनयों एवं अन्य के विरूद्ध कार्यवाही में सहयोग प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है।
- दिनांक 19.03.2019 को प्रातः 11:30 बजे जिला पुलिस अधीक्षक महोदया, करौली की अध्यक्षता में बाल वाहिनी योजना के सुचारू व सफल क्रियान्वयन के लिए संयोजक समिति का गठन कर बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक कार्यवाही रिपोर्ट संलग्न है।

उक्तानुसार रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवामें सादर प्रेषित है।

जिला परिवहन अधिकारी
करौली (राज0)